राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1)विभाग

क्रमांक प. 14(4)शिक्षा–1/बूंदी/2014पार्ट   जयपुर, दिनांक 13-06-2016

:: आदेश ::

शिक्षा विभाग के अधीन संचालित कक्षा 6 से 10/12 के विद्यालयों में उनके आस–पास उसी स्थान पर संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को समन्वित कर कक्षा 1 से 10/12 के, समन्वित (एकीकृत) विद्यालयों की स्थापना की गयी। जिन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के परिसर में पर्याप्त स्थान उपलब्ध था एवं कक्षा 1 से 5/8 के विद्यार्थियों के लिये इन परिसरों में अध्ययन हेतु आना सुविधाजनक था, उन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10/12 तक की समस्त कक्षाओं का संचालन एक ही परिसर में किया जा रहा है तथा अन्य समन्वित विद्यालयों में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षाओं का संचालन पृथक–पृथक भवनों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार किया जा रहा है। परन्तु दोनों ही मामलों में समन्वित (एकीकृत) विद्यालय को एक ही प्रशासनिक इकाई मानते हुए संचालित किया जा रहा है। इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हुए है :–

i. प्राथमिक कक्षाओं को माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों को समन्वित करने से इन कक्षाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का हो गया। जिसके फलस्वरूप प्राथमिक कक्षाओं की बेहतर मॉनिटरिंग होने से विद्यार्थियों के शैक्षिणिक स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है।
ii. एकीकरण के फलस्वरूप इन विद्यालयों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में वर्ष 2015–16 में नामांकन में वृद्धि हुई है।
iii. प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों का समग्र प्रशासनिक नियंत्रण समन्वित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्थाप्रधान के पास होने के फलस्वरूप शिक्षकों की उपस्थिति एवं शैक्षणिक कार्य में भी सुधार हुआ है।

बूंदी जिले के वर्तमान में संचालित कक्षा 6 से 10, 6 से 12 तथा 9 से 12 के विद्यालयों को कक्षा 1 से 10/12 के विद्यालय में परिवर्तित करने के लिये कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित विद्यालय में कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित विद्यालय को **समन्वित** करते हुए कक्षा 1 से 10/12 तक के समन्वित (एकीकृत) विद्यालय गठित करने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

जिला–बूंदी

क. राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में समन्वयन

क्र.स.	पंचायत समिति /नगरपालिका	ग्राम पंचायत	राजस्व गांव /वार्ड नं.	राउमावि/मावि. (एकीकृत)	समन्वित विद्यालय
1	2	3	4	5	6
1.	नेनवां	देई	देई	राउमावि देई	राउप्रावि ओल्ड
2.	बूंदी	बूंदी	1	राउमावि बूंदी	राउप्रावि खोजागेट
3	बूंदी	बूंदी	7	राउमावि बालचंद पाडा	राउप्रावि बालचंद पाडा
4	के.पाटन	कापरेन	20	राउमावि कापरेन	राप्रावि विश्वकर्मा कापरेन
5	के.पाटन	कापरेन	11	राबाउमावि कापरेन	राउप्रावि बा.कापरेन
6	के.पाटन	कापरेन	10	राबाउमावि के.पाटन	राउप्रावि बा. के.पाटन
7	के.पाटन	लाखेरी	15	राउमावि लाखेरी	राप्रावि तेजाजी की टापरी
8	के.पाटन	लाखेरी	3	राबाउमावि लाखेरी	राउप्रावि बा. लाखेरी
9	के.पाटन	इन्द्रगढ	12	राउमावि इन्द्रगढ़	राप्रावि कालामाल
10	के.पाटन	इन्द्रगढ	5	राबाउमावि इन्द्रगढ़	राउप्रावि बा. इन्द्रगढ़
11	के.पाटन	सुमण्डी	सुमण्डी	राबामावि सुमण्डी	राउप्रावि कन्या सुमण्डी
12	के.पाटन	लाखेरी	9	रामावि स्टेशन लाखेरी	राप्रावि स्टेशन लाखेरी
13	बूंदी	बूंदी	8	रानूमावि चौगान गेट बूंदी	राउप्रावि लुहारकटला बूंदी

उपरोक्तानुसार एकीकृत राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार होगाः–

i. समाहित विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा एवं समन्वित(एकीकृत) उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय (समाहित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित) का प्रशासनिक नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।

ii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक इन विद्यालयों के शैक्षणिक व प्रशासनिक कार्यों के लिये पूर्ण रूप से अधिकृत एवं उत्तरदायी होंगे।

iii. एकीकृत उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में समाहित होने वाले प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक